>

Title: Need to include Himachali and Bhoti languages in Eighth Schedule to the Constitution.

**श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):** सभापति महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पहाड़ी और भोटी भाषा से संबंधित विषय शून्य प्रहर में उठाने का अवसर दिया। उसे मान्यता मिले और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को केन्द्र शासित राज्य के रूप में राज्यों के पुनर्गठन के समय 15 अप्रेल, 1948 को भारतीय गणतंत्र में शामिल किया गया था तथा 25 जनवरी, 1971 को इसे पूर्ण राज्यत्व बनाया गया। आज हिमाचल प्रदेश का जो विराट स्वरूप हमारे सामने है, उसे पहाड़ी भाषा की वजह से अलग से पहचान मिली और वह अलग से ऐन्जिस्टैंस में आया।

यह निर्विवाद है कि हिमाचली की अनेक बोलियां हैं, जिनमें मुख्य तौर पर हिमाचल और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पहाड़ी का स्वरूप है, उसमें बहुत सी बोलियां जैसे जौनसारी, सिरमौरी, बघाटी, शिमला जनपद की महासवी, कहलूरी एवं हंडूरी, मंडयाली, कुल्लवी, कांगड़ी, चम्बयाली व भद्रवाही बोलियां बोली जाती हैं। हिमाचल की ये बोलियां भी कालांतर में भाषा के रूप में आगे बढ़ें, इसलिए मैं समझता हूं कि इन बोलियों को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता मिले।

**19.28 hrs.**

(Shri Inder Singh Namdhari in the Chair)

महोदय, हिमाचल प्रदेश की विधान सभा ने भी भोटी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है जो संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ज्ञातव्य है कि हिमाचली भाषा के कारण हमें सांस्कृतिक पहचान मिली है तथा इस भाषा में प्रचुर मात्रा में कहानी, साहित्य प्रकाशित हो चुका है। हिमाचली भाषा में लोक साहित्य, लोक गीतों, गाथाओं, लोक नाट्यों, लोक विश्वासों, पहेलियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का अभूतपूर्व कोष है। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारी जो हिमाचली भाषा है, उसमें लगभग 300 काव्य संग्रह, 21 उपन्यास, लगभग 77 कहानियां, 25 निबन्ध और 34 नाटकों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचली भाषा जिसे हम पहाड़ी भाषा कहते हैं, प्रांतीय भाषाओं की अग्रणी पंक्ति में जाकर प्रादेशिक सम्मानों के साथ राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर सकती है।

हिमाचली भाषा मे लेखन कार्य बढ़ेगा और पहाड़ी भाषा की अस्मिता संरक्षित रह सकेगी और हिमाचल प्रदेश अपनी इस अनुपम भाषा की आभा से स्वयं को गौरान्वित कर सकेगा।

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति एवं किन्नौर जिलों के कुछ भागों में भोटी भाषा प्रमुखता से बोली जाती है और वहां अनेक गोम्पा स्थापित हैं। भोटी भाषा का अभिनव योगदान भारत की संस्कृति के संरक्षण में रहा है।...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** कश्यप जी, आपका प्वाइंट आ गया है।

**श्री वीरेन्द्र कश्यप :** शताब्दियों पूर्व जो ज्ञान एवं दर्शन के विषय, बौद्ध विद्वानों ने विक्रमशिला एवं नालन्दा विश्वविद्यालयों से प्राप्त किए जाएं, ...(व्यवधान) जिनका अधिकांश भाग इन विश्वविद्यालयों के नष्ट होने से उस समस्त ज्ञान को बौद्ध प्रबुद्धों द्वारा संग्रहीत एवं भोटी भाषा में अनूदित किया गया था। ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

आज जब संस्कृत ग्रंथों की अमूल्य सम्पदा जो विक्रमशिला एवं नालन्दा के विध्वंस से नष्ट हो गयी थी, वह अब भी बौद्ध विद्वानों के अभूतपूर्व प्रयास से भोटी भाषा में उपलब्ध है। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** कश्यप जी, आपकी सारी बातें आ गयी हैं।

â€¦(व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र कश्यप :** सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज भोटी साहित्य में भारत की यह अमूल्य ज्ञान निधि समस्त बौद्ध गोम्पाओं मे संरक्षित है। यहां ज्ञातव्य है कि हिमाचल प्रदेश की विधान भाषा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर पुरजोर सिफारिश की गयी थी कि भोटी भाषा को संविधान की आठवीं अनूसूची में शामिल किया जाये। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में भी इस भोटी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का आग्रह निरन्तर किया जाता रहा है।

अतः मेरा आग्रह है कि हिमाचली भाषा एवं भोटी भाषा को मान्यता प्रदान कर इन दोनों भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये, ताकि ये भाषाएं समृद्ध हो सकें।

**सभापित महोदय :** वीरेन्द्र कश्यप जी, मेरी जीरो ऑवर में एक रूलिंग लागू है कि आप तब तक नहीं जायेंगे जब तक यह कार्यक्रम खत्म नहीं होता।

â€¦(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ. राजन सुशान्त, श्री जे.एम. आरुन रशीद तथा श्री शैलेन्द्र कुमार इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।